COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED

CF. 80/-

(2)

श्री विनोद बिलैया अधि० द्वारा प्रस्तुत।
B.Q.R.

20 दिसम्बर DEC 2005

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म. प्र.)

निग० 219-II/06

जगन्नाथ राव पाठक वल्द श्री लक्ष्मन राव पाठक,
द्वारा- कारंदा नर्मदा प्रसाद तिवारी तनय काशीनाथ,
तिवारी निवासी- ग्राम भैसवाही तह. जिला सागर

— पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

63
30/12

दिगंबरराव तनय वासुदेव राव,
निवासी- ग्राम भैसवाही तह. व जिला सागर -- रेस्पाडेंट

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू रा. संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है :-

6/2/06

उक्त पुनरीक्षण श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 624-बी/121 वर्ष 2002-03 में पारित आदेश दिनांक 18/11/2005 से परिवेदित होकर पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, श्रीमान् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18/11/2005 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2. यह कि, श्रीमान् अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया है, तथा प्रकरण को सरसरी तौर पर देखकर ही आदेश पारित कर दिया है, इस कारण विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. यह कि, ग्राम भैसवाही स्थित मंदिर तथा उसमें लगी भूमि खसरा नम्बर 665 रकवा 0.47 हेक्टेयर

Through
20/12/2005

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 219–दो/06 **जिला** –सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
3.02.16	आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक कोई उपस्थित नहीं । वह लगभग 15 पेशियों से अनुपस्थित रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को प्रकरण में आगे चलाने की कोई रूचि नहीं है। समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। सदस्य	